

झारखण्ड सरकार
जल संसाधन विभाग

प्रेषक,

सुखदेव सिंह
प्रधान सचिव

सेवा में,

मुख्य अभियंता, जल संसाधन विभाग, देवघर/रॉंची/हजारीबाग/
मुख्य अभियंता (यॉ०)/अग्रिम योजना, जल संसाधन विभाग
संबंधित अधीक्षण अभियंता/संबंधित कार्यपालक अभियंता/संबंधित निकासी एवं एवं व्ययन
पदाधिकारी, जल संसाधन विभाग झारखंड।

रॉंची, दिनांक : 03-08-17

विषय :- वित्तीय वर्ष 2017-18 के मांग संख्या- 49 जल संसाधन विभाग, मुख्य शीर्ष-2701- मध्यम सिंचाई उप मुख्य शीर्ष-03-मध्यम सिंचाई-वाणिज्यिक, लघु शीर्ष-001 निदेशन तथा प्रशासन, उप शीर्ष-07-मध्यम सिंचाई परियोजना मद के अंतर्गत व्यय हेतु निधि का आवंटन।

महाशय,

वित्तीय वर्ष 2017-18 में बजट मुख्य शीर्ष 2701- मध्यम सिंचाई के अंतर्गत परिशिष्ट-I में दर्शाये गये लघु शीर्ष/उप शीर्ष/विस्तृत शीर्ष के अधीन अंकित कार्यालय को व्यय हेतु आवंटन संसूचित किया जाता है :-

क्रमांक	मांग संख्या/मुख्य शीर्ष	उप मुख्य शीर्ष	लघु शीर्ष/उप शीर्ष	आवंटित राशि (लाख ₹ में)
1	2	3	4	5
1.	मांग संख्या 49 जल संसाधन विभाग/ 2701-मध्यम सिंचाई	03 मध्यम सिंचाई वाणिज्यिक	001-निदेशन तथा प्रशासन/ 07-मध्यम सिंचाई परियोजना	811.530

कुल आवंटित राशि - रुपये आठ करोड़ ग्यारह लाख तीरेपन हजार मात्र

- आवंटित राशि वित्तीय वर्ष 2017-18 के बजट उपबंध राशि ₹ 10209.50 लाख (एक सौ दो करोड़ नौ लाख पचास हजार मात्र) के अंतर्गत है।
- आवंटित राशि की निकासी की प्रक्रिया एवं शर्तें वित्त विभागीय स्थायी अनुदेश का पत्रांक 2561 वि. (2) दिनांक 17.04.98,1800 (वि.) दि.15.07.2003,1362 दि० 09.05.2016 2747(वि०) दि० 19.09.2016 के आलोक में होगा।
- राशि की निकासी के पूर्व संबंधित विपत्र/चेक पर निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी द्वारा इस प्रसंगाधीन आवंटन आदेश की संख्या एवं तिथि का उल्लेख करना होगा, जिसके आधार पर संबंधित विपत्र/चेक में निहित राशि की निकासी की जा रही है। साथ ही इस आशय का प्रमाण पत्र भी विपत्र/चेक पर अंकित करना होगा कि विपत्र में निहित राशि बजट उपबंध तथा आवंटित राशि के अधीन है और राशि की निकासी के लिए संबंधित निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी स्वयं सक्षम पदाधिकारी है। प्रत्येक विपत्र/चेक के साथ संबंधित आवंटन आदेश की अभिप्रमाणित प्रति निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी द्वारा अनिवार्य रूप से संलग्न की जायेगी।
- आवंटित राशि से दिनांक 15.11.2000 के पूर्व का बकाया वेतनादि के अनुमान्य राशि का भुगतान उक्त इकाई में आवंटित राशि से ही किया जायेगा।
- जिस शीर्ष के अंतर्गत उपर्युक्त राशि आवंटित की जा रही है, निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी उक्त मुख्य शीर्ष/उप मुख्य शीर्ष/लघु शीर्ष/उप शीर्ष का विस्तृत उल्लेख के साथ मुहर तैयार कर व्यवहार करेंगे ताकि महालेखाकार कार्यालय द्वारा लेखा संधारण में किसी तरह की भूल न हो सके।


(श्वेता कुमारी)
सहा. अभि.


(मुक्ति साहा)
उप सचिव (अभि.)

7. प्रत्येक निकासी एवं व्यय पदाधिकारी पूर्णतः सुनिश्चित हो लेंगे कि इकाईवार व्यय की सीमा किसी भी परिस्थिति में संबंधित इकाई के अंतर्गत आवंटित राशि से अधिक नहीं हो अन्यथा अधिकाई व्यय की पूरी जबाबदेही संबंधित पदाधिकारी पर होगी।
8. यदि आवंटित गई राशि अपर्याप्त महसूस हो तो राशि के व्यय का पूर्ण औचित्य तथा उपयोगिता प्रमाण पत्र के साथ राशि की मांग करेंगे। ध्यान रहे कि जिस कार्यालय से व्यय का पूर्ण औचित्य प्राप्त नहीं होगा अतिरिक्त राशि का आवंटन नहीं किया जायेगा।
9. सेवानिवृत्त कर्मियों को अनुमान्य एकमुश्त स्थानान्तरण अनुदान और पैकिंग भत्ता की निकासी वित्त विभाग का पत्रांक-170 दिनांक-01.04.2014 से प्राप्त निदेश के अनुरूप की जायगी।
10. वित्त विभाग के पत्रांक-29/बी०टी०ई०-18/2014-15/300 दिनांक-30.03.2015 के आलोक में 15.11.2000 के बाद के बकाया वेतन एवं चिकित्सा प्रतिपूर्ति का भुगतान वेतन मद में उपबंधित राशि से किया जायेगा।
11. मकान किराया भत्ता मद में आवंटित राशि का भुगतान नियमानुसार सक्षम स्तर से किराया निर्धारण तथा अन्य संबंधित आवश्यक अभिलेखों की उपलब्धता के उपरांत ही अनुमान्य राशि तक सीमित कर किया जाएगा।
12. यदि किसी इकाई में आवंटित राशि (वेतन छोड़ कर) का तत्काल व्यय संभव न हो तो अतिरिक्त राशि का तुरंत प्रत्यापण कर दिया जाय। राशि का प्रत्यापन **Online** किया जाय साथ ही पूर्ण प्रत्यापण प्रतिवेदन हार्ड कापी में **Acces No** एवं **Revoke No** का भी आवश्यक रूप से उल्लेख करते हुए उपलब्ध कराया जाय।
13. बिहार वित्तीय नियमावली (भाग-1) के नियम 473 एवं 475 में विहित निदेश/वित्तीय नियमावली बजट मैनुअल/सचिवालय अनुदेश तथा अन्य सुसंगत अभिलेखों में विहित प्रावधानों तथा राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर निर्गत अनुदेशों का दृढ़तापूर्वक अनुपालन किया जाना संबंधित मुख्य अभियंता/अधीक्षक अभियंता/कार्यपालक अभियंता का दायित्व होगा।
14. प्रत्येक निकासी एवं व्यय पदाधिकारी संबंधित शीर्षान्तर्गत हुए व्यय का सत्यापन नियमानुसार त्रैमासिक रूप से महालेखाकार राँची के साथ निश्चित रूप से कराते रहेंगे तथा व्यय प्रतिवेदन एवं सत्यापन विवरणी विभाग को समर्पित करेंगे।
15. देशीय यात्रा व्यय मद में उपलब्ध कराये गये आवंटन से लंबित स्थानान्तरण यात्राभत्ता का भुगतान प्रथमतः सेवानिवृत्त कर्मियों को सेवानिवृत्ति की तिथि को आधार मानते हुए कालानुक्रमिकानुसार किया जाय। तत्पश्चात् अन्य स्थानान्तरण यात्राभत्ता का भुगतान कालानुक्रमिकानुसार (chronological order) किया जाय।
16. विभिन्न इकाई मदों में आवंटित राशि से यदि राशि बच जाती है तो उसका इकाईवार प्रत्यर्पण 30 जनवरी 2018 तक निश्चित रूप से कर देंगे।

नोट : यह आवंटनादेश जलसंसाधन विभाग के वेब साईट (<http://www.wrdjharkhand.nic.in>) पर भी उपलब्ध है।
अनु. :- यथोक्त

(सुखदेव सिंह) 28/2
प्रधान सचिव

ज्ञापांक :- 81

राँची, दिनांक :- 03-08-17

प्रतिलिपि :- महालेखाकार, झारखण्ड पो. - हिन्डू, राँची/कोषागार पदाधिकारी, राँची/डोरंडा/देवघर/गुमला/चाईबासा/खूँटी/सिमडेगा/दुमका/साहेबगंज/गोड्डा/हजारीबाग/जामताड़ा/राजमहल/मधुपुर/पाकुड़/जमशेदपुर/सरायकेला-खरसावा सहित राज्य के सभी कोषागार एवं उपकोषागार पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।
अनु. :- यथोक्त

(सुखदेव सिंह) 28/2
प्रधान सचिव

ज्ञापांक :- 81

राँची, दिनांक :- 03-08-17

प्रतिलिपि :- प्रधान सचिव, वित्त विभाग/संबंधित प्रमंडलीय आयुक्त/संबंधित उपायुक्त/योजना एवं विकास विभाग/आंतरिक वित्तीय सलाहकार, जल संसाधन विभाग/ अभियंता प्रमुख I एवं II, जल संसाधन विभाग/मुख्य अभियंता (मो.), राँची/संयुक्त सचिव (अभि.)/उप सचिव (अभि.), जल संसाधन विभाग को पॉच प्रति/प्रशाखा-7 को दस अतिरिक्त प्रतियों में/प्रधान सचिव के सचिव, जल संसाधन विभाग/ वेब सूचना प्रबंधक/सांख्यिकी पदाधिकारी, जल संसाधन विभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

अनु. :- यथोक्त

(श्वेता कुमारी)
सहा. अभि.

(मुक्ति प्रभात चौरसिया)
उप सचिव (अभि.)

(सुखदेव सिंह) 28/2
प्रधान सचिव

परिशिष्ट I

मुख्य शीर्ष-2701-मध्यम सिंचाई/उप मुख्य शीर्ष-03-मध्यम सिंचाई-वाणिज्यिक
लघु शीर्ष-001-निर्देशन तथा प्रशासन/उप शीर्ष-07-मध्यम सिंचाई परियोजना
मांग संख्या-49-जल संसाधन विभाग

पत्रांक ४१ दिनांक ०३-०६-१७ का अनुलग्नक

परिशिष्ट I

क्र.सं	वित्तीय वर्ष 2017-2018		वित्तुत शीर्ष-01-वेतन एवं भत्ते										वित्तुत शीर्ष-02-यात्रा व्यय										वित्तुत शीर्ष-03-प्रशासनिक व्यय										राशि लाख रूपये में	
			वित्तुत शीर्ष-04-मोटरवाहियां		वित्तुत शीर्ष-07-अन्य व्यय																													
			कालव्यय का नाम	देतन	15.11.2000 के पूर्व का ढकाया	एगोपीयो	देशीय यात्रा व्यय	कार्यालय व्यय	विश्राया,दर, कर	आपूर्ति एवं सामग्री	दूरभाष	दली	विश्रा व्यय	मोटरवाहियां इतान एवं ररामति	विश्रा भ्रातर	कुल योग	अधिवृत्त																	
1	2	3	4	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19																		
1	मुख्य अतिथि, अधिन योजना, रौती	विषय कोड	48N270103000	48N270103000	48N270103001	48N270103000	48N270103001	48N270103000	48N270103001	48N270103000	48N270103000	48N270103000	48N270103001	48N270103000	48N270103001	48N270103000	48N270103001																	
1	मुख्य अतिथि, अधिन योजना, रौती	विषय कोड	48N270103000	48N270103000	48N270103001	48N270103000	48N270103001	48N270103000	48N270103001	48N270103000	48N270103000	48N270103000	48N270103001	48N270103000	48N270103001	48N270103000	48N270103001																	
2	मुख्य अतिथि, अधिन योजना, रौती	विषय कोड	48N270103000	48N270103000	48N270103001	48N270103000	48N270103001	48N270103000	48N270103001	48N270103000	48N270103000	48N270103000	48N270103001	48N270103000	48N270103001	48N270103000	48N270103001																	
3	मुख्य अतिथि, अधिन योजना, रौती	विषय कोड	48N270103000	48N270103000	48N270103001	48N270103000	48N270103001	48N270103000	48N270103001	48N270103000	48N270103000	48N270103000	48N270103001	48N270103000	48N270103001	48N270103000	48N270103001																	
4	मुख्य अतिथि, अधिन योजना, रौती	विषय कोड	48N270103000	48N270103000	48N270103001	48N270103000	48N270103001	48N270103000	48N270103001	48N270103000	48N270103000	48N270103000	48N270103001	48N270103000	48N270103001	48N270103000	48N270103001																	
5	मुख्य अतिथि, अधिन योजना, रौती	विषय कोड	48N270103000	48N270103000	48N270103001	48N270103000	48N270103001	48N270103000	48N270103001	48N270103000	48N270103000	48N270103000	48N270103001	48N270103000	48N270103001	48N270103000	48N270103001																	
6	मुख्य अतिथि, अधिन योजना, रौती	विषय कोड	48N270103000	48N270103000	48N270103001	48N270103000	48N270103001	48N270103000	48N270103001	48N270103000	48N270103000	48N270103000	48N270103001	48N270103000	48N270103001	48N270103000	48N270103001																	
7	मुख्य अतिथि, अधिन योजना, रौती	विषय कोड	48N270103000	48N270103000	48N270103001	48N270103000	48N270103001	48N270103000	48N270103001	48N270103000	48N270103000	48N270103000	48N270103001	48N270103000	48N270103001	48N270103000	48N270103001																	
8	मुख्य अतिथि, अधिन योजना, रौती	विषय कोड	48N270103000	48N270103000	48N270103001	48N270103000	48N270103001	48N270103000	48N270103001	48N270103000	48N270103000	48N270103000	48N270103001	48N270103000	48N270103001	48N270103000	48N270103001																	
9	मुख्य अतिथि, अधिन योजना, रौती	विषय कोड	48N270103000	48N270103000	48N270103001	48N270103000	48N270103001	48N270103000	48N270103001	48N270103000	48N270103000	48N270103000	48N270103001	48N270103000	48N270103001	48N270103000	48N270103001																	

(श्वेता कुमारी)
सहायक अभियंता

सुविता आश्विन चौरसिया)
उप सचिव (अभि०)

(सुखदेव सिंह)
प्रधान सचिव

under B3
26907

क्र० सं०	वित्तीय वर्ष 2017-2018		विरुद्ध शीर्ष-01-वेतन एवं भर्तें		विरुद्ध शीर्ष-02-देशीय यात्रा व्यय		विरुद्ध शीर्ष-03-प्रशासनिक व्यय										विरुद्ध शीर्ष-04-मोटरगाड़ियां भ्रमण एवं मरम्मत		विरुद्ध शीर्ष-07-अन्य व्यय		राशि लाख रुपये में	
	कार्यालय का नाम	विवरण कोड	वेतन	15.11.2000 के पूर्व का बकाया	एल०टी०सी०	देशीय यात्रा व्यय	कार्यालय व्यय	किराया/दर, कर	आपूर्ति एवं सामग्री	दूरभाष	वर्दी	विद्युत व्यय	मोटरगाड़ियां	विविध प्रसार	कुल योग	अभिवृत्ति						
1	2	3	4	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19						
10	जलपथ प्रमंडल, गुमला	पूर्व का आवंटन अतिरिक्त आवंटन	148.000 64.000	0.000 0.000	0.000 0.000	0.200 0.400	0.200 0.400	0.000 0.000	0.000 0.000	0.050 0.030	0.000 0.000	0.000 1.000	0.000 0.000	0.000 0.200	148.450 66.030							
11	जलपथ प्रमंडल सं.-1, चकधपुर	पूर्व का आवंटन अतिरिक्त आवंटन	132.000 0.000	0.000 0.000	0.000 0.000	0.200 0.000	0.200 0.000	0.000 0.000	0.000 0.000	0.050 0.000	0.000 0.000	0.000 0.000	0.000 0.000	0.000 0.400	132.450 0.400							
12	जलपथ प्रमंडल सं.-2, हजारीबाग	पूर्व का आवंटन अतिरिक्त आवंटन	132.000 28.000	0.000 0.000	0.000 0.300	0.200 0.800	0.200 0.400	0.000 0.000	0.000 0.350	0.050 0.030	0.000 0.000	0.000 0.400	0.000 0.000	0.000 0.150	132.450 30.430							
13	जलपथ प्रमंडल सं.-2, बैतपुर, गुमला	पूर्व का आवंटन अतिरिक्त आवंटन	72.000 66.000	0.000 0.000	0.000 0.000	0.200 0.500	0.200 0.400	0.000 0.000	0.000 0.000	0.050 0.050	0.000 0.000	0.000 0.000	0.000 0.000	0.000 0.250	72.450 67.200							
14	जलपथ प्रमंडल सं.-1, सिमडेगा	पूर्व का आवंटन अतिरिक्त आवंटन	202.000 0.000	0.000 0.000	0.000 0.000	0.200 0.450	0.200 0.000	0.000 0.000	0.000 0.250	0.050 0.000	0.000 0.000	0.000 0.000	0.300 0.000	0.000 0.000	202.750 0.700							
15	कपांकण प्रमंडल सं.-2, सैंकी	पूर्व का आवंटन अतिरिक्त आवंटन	280.000 180.000	0.000 0.000	0.000 0.300	0.200 0.200	0.200 0.400	0.000 0.000	0.000 0.150	0.050 0.080	0.000 0.000	0.000 0.000	0.000 0.000	0.000 0.000	280.450 181.130							
16	विशेष स-अर्जन पद०, देवघर	पूर्व का आवंटन अतिरिक्त आवंटन	96.000 0.000	0.000 0.000	0.000 0.000	0.200 0.000	0.200 0.000	0.000 0.000	0.000 0.000	0.050 0.050	0.000 0.000	0.000 0.300	0.300 0.000	0.000 0.000	96.750 0.350							
17	विशेष स-अर्जन पद०, सैंकी	पूर्व का आवंटन अतिरिक्त आवंटन	158.000 95.000	0.000 0.000	0.000 0.000	0.200 0.600	0.200 0.400	0.000 0.000	0.000 0.150	0.050 0.050	0.000 0.000	0.000 0.000	0.300 0.000	0.000 0.200	158.750 96.400							
18	सिचार्ड प्रमंडल गोड्डा, शिविर-महाराणा	पूर्व का आवंटन अतिरिक्त आवंटन	160.000 0.000	0.000 0.000	0.000 0.000	0.200 1.200	0.200 0.350	0.000 0.000	0.000 0.000	0.050 0.030	0.000 0.000	0.000 0.500	0.000 0.000	0.000 0.150	160.450 2.230							
		कुल आवंटन	160.000	0.000	0.000	1.400	0.550	0.000	0.000	0.080	0.000	0.500	0.000	0.150	162.680							

(रखेता कुमासी)
सहायक अभियंता

(मुक्ति अर्जन चोखिया)
उप सचिव (अभि०)

(सुखदेव सिंह)
प्रधान सचिव

क्र० सं०	वित्तीय वर्ष 2017-2018			विरुद्ध शीर्ष-01-वैतन एवं भत्तें			विरुद्ध शीर्ष-02-प्रशासनिक व्यय										विरुद्ध शीर्ष-04-मोटरगाड़ियां		विरुद्ध शीर्ष-07-अन्य व्यय		राशि लाख रुपये में	
	कार्यालय का नाम	विपत्र कोड	वैतन	के पूर्व का बकाया	एल०टी०सी०	देशीय यात्रा व्यय	कार्यालय व्यय	किराया, दर, कर	आपूर्ति एवं सामग्री	दूरभाष	वर्दी	विद्युत व्यय	मोटरगाड़ियां मरम्मत एवं	विक्रि प्रभार	कुल योग	अभिवृत्ति						
1	2	3	4	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19						
19	सिवाई प्रमंडल, सिकंदिया		96.000	0.000	0.000	0.200	0.200	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	96.400							
	अतिरिक्त आवंटन		40.000	0.000	0.000	0.200	0.400	0.000	0.150	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	41.000							
	कुल आवंटन		136.000	0.000	0.000	0.400	0.600	0.000	0.150	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	137.400							
20	सिवाई यांत्रिक प्रमंडल, देवर		135.000	0.000	0.000	0.200	0.200	0.000	0.000	0.050	0.000	0.000	0.300	0.000	135.750							
	अतिरिक्त आवंटन		0.000	0.000	0.000	0.500	0.200	0.040	0.150	0.000	0.000	0.200	0.400	0.050	1.540							
	कुल आवंटन		135.000	0.000	0.000	0.700	0.400	0.040	0.150	0.050	0.000	0.200	0.700	0.050	137.290							
21	सिवाई यांत्रिक प्रमंडल, सीता		144.000	0.000	0.000	0.200	0.200	0.000	0.000	0.050	0.000	0.000	0.300	0.000	144.750							
	अतिरिक्त आवंटन		82.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.150	0.000	0.000	0.450	0.400	0.000	83.000							
	कुल आवंटन		226.000	0.000	0.000	0.200	0.200	0.000	0.150	0.050	0.000	0.450	0.700	0.000	227.750							
	अतिरिक्त आवंटन का योग		787.100	0.000	1.000	6.350	5.700	0.040	1.750	0.790	0.000	2.850	4.100	1.850	811.530							

नोट: वित्त विभाग के पत्रांक 11/विचि-14/2010-38/बजट दि० 04.02.13 के आलेख में विद्युत भद्र में दिनांक 31.03.2013 तक का बकाया शून्य मानते हुए नये सिरे से विधिवीकरण के आधार पर ही मुपातान अनुमान्य है।

कुल अतिरिक्त आवंटित राशि-

रुपये आठ करोड़ ग्यारह लाख तीसपन हजार मात्र

(रहेता कुमारी)
सहायक अभियंता

(मुक्ति सुब्रह्मन्यम)
उप सचिव (अभि०)

(सुखदेव सिंह)
प्रधान सचिव

81
03-08-17

26/03/12